

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व शिद्द नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फ़ाल् गिण्टी कौल आवासीय प्रयोजनाय

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 347 दिनांक 26/10/2020

प्रार्थीगण ① श्रीमती अरुणा बाबा जैन एवं ② श्री राजेश कुमार जैन

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 19508/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/553, 554

दिनांक 26/10/2020 को जमा करा दी हैं ।

26/10/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Received
Again
(Sarashar Jain)
26/10/2020
Len of applicants
9928311881

जी + 1
आवासीय